

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्गा/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 280-ब]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2002—कार्तिक 7, शक 1924

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-88/2002/वा. क. (पं.)/पांच (108).—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.
(2) यह नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.
- समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगी, जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाए, उपान्तरणों के अधधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द “मध्यप्रदेश” जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द “छत्तीसगढ़” स्थापित किए जाएं.
- अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्ररूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश पंजीयन तथा मुद्रांक सेवा (विज्ञप्त) भरती नियम, 1984.
2.	मध्यप्रदेश मुद्रांक एवं पंजीयन तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) भरती नियम, 1983.
3.	मध्यप्रदेश पंजीयन तथा मुद्रांक तृतीय श्रेणी (अलिपिकीय) सेवा भरती नियम, 1989.
4.	मध्यप्रदेश चतुर्थ श्रेणी सेवा भरती (मुद्रांक एवं पंजीयन) नियम, 1982.
5.	मध्यप्रदेश पंजीयन मेनुअल भाग-दो, 2000.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ 10-88/2002/वा.क. (पं.)/पांच (108).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-88/2002/वा.क. (पं.)/पांच (108), दिनांक 29-10-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 29th October 2002

NOTIFICATION

No. F 10-88/2002/C.T. (R)/V (108).—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000). The State Government hereby makes the following order, namely :—

ORDER

- (1) This order may be called the Adaptation order, 2002.
(2) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.
- The Laws as amended from time to time, specified in the schedule to this order which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in the Laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.
- Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, rules, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the Laws specified in the Schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Laws (2)
1.	Madhya Pradesh Registration and Stamp Services (Advertise) Recruitment Rules, 1984.
2.	Madhya Pradesh Stamps and Registration Class III (Ministerial) Recruitment Rules, 1983.
3.	Madhya Pradesh Registration and Stamps Class III (Non-ministerial) Services Recruitment Rules, 1989.
4.	Madhya Pradesh Class IV Service Recruitment (Stamps and Registration) Rules, 1982.
5.	Madhya Pradesh Registration Manual Part-II, 2000.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.